<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

<u>मंत्रिमंडल प्रभाग</u>

[30.09.2019 की स्थिति के अनुसार]

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न		मानक उत्तर/स्थिति
मंत्रिमंडल सचिवालय को आबंटित कार्य		
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय को क्या कार्य आबंटित किए गए हैं?	भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय को आबंटित कार्य इस प्रकार है: 1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता। 2. कार्यकरण नियम
मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता		
2.	मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य और उत्तरदायित्व क्या हैं?	मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दी जाने वाली सचिवीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है: • प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल और इसकी समितियों की बैठक का आयोजन करवाना। • कार्यसूची बनाना और उसका परिचालन • कार्यसूची के मामलों से संबंधित नोट सहित पत्रों का परिचालन • बैठक में हुई चर्चा का रिकॉर्ड बनाना (कार्यवृत्त) • प्रधानमंत्री के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद चर्चा के रिकॉर्ड का परिचालन • मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी।
3.	मंत्रिमंडल नोट या मंत्रिमंडल निर्णयों का विवरण (कार्यवृत्त) या मंत्रिमंडल द्वारा विचारित मुद्दे (कार्यसूची की मदें) अथवा मंत्रिमंडल अथवा इसकी समितियों की बैठक से संबंधित किसी भी पत्र को कैसे प्राप्त करें?	केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित मंत्रिमंडल पत्रादि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(i) के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(i) के प्रथम परंतुक के अनुसार "मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। अत: यह स्पष्ट है कि वह सामग्री जिनके आधार पर मंत्रिमंडल में निर्णय लिए जाते हैं उसका

		प्रकटीकरण सिर्फ निर्णय भर लेने के बाद नहीं किया जाना है बल्कि केवल विषय के पूरा या समाप्त होने" के बाद ही किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961, के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय को "मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता" का कार्य आबंटित किया गया। सचिवालय किसी कार्यक्रम को न तो प्रायोजित करता है और न ही किसी प्रोजक्ट को निष्पादित करता है। यह एक एजेंसी है जिसे "मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता" प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय यह निर्णय नहीं ले सकता कि कब मंत्रिमंडल का निर्णय पूरा या समाप्त हो गया है। कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग यह निर्णय लेगा कि मंत्रिमंडल निर्णय संबंधी विषय कब पूरा या समाप्त हो गया है और तदनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 8(1)(i) के प्रथम परंतुक के अनुसार सामग्री के प्रकटीकरण का निर्णय कर लेगा। मंत्रिमंडल के पत्रादि के प्रकटीकरण का समय और पद्धति की स्थिति के बारे में लोक प्राधिकरण द्वारा बेहतर निर्णय लिया गया है जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपने दिनांक 21.07.2017 के आदेश सं. सीआईसी/सीएबीएसटी/ए/2017/128618 (श्री सांतिमय बसु बनाम केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय) और दिनांक 03.09.2019 के आदेश सं. सीआईसी/सीएबीएसटी/ए/2018/621928 (श्री संजीव कुमार बनाम केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय) में मंत्रिमंडल नोट को सही ठहराया गया है। तदनुसार, ऐसी सूचना, दस्तावेजों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संपर्क किया जाए।
सरकारी कार्यकरण के नियम		
4.	कार्यकरण नियम के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय के क्या कार्य हैं?	मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार (कार्यकरण नियम), 1961 और भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्तावों को देखना है और विषयों के आबंटन पर अंतर-मंत्रालयी विवादों का समाधान करता है।

5.	"विभाग" क्या है?	कार्यकरण नियम के अनुसार, विभाग का अभिप्राय भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 (कार्यकरण नियम के नियम 2) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी मंत्रालय, विभाग, सचिवालय और कार्यालय है।
6.	मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्य नियम की अनुपालना के लिए कौन उत्तरदायी है?	भारत सरकार (कार्यकरण नियम), 1961 का नियम 11 इस संदर्भ में यहां पुन: प्रस्तुत है: 11. विभागीय सचिवों के उत्तरदायित्व:- प्रत्येक विभाग में, सचिव (जिसमें विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं उसके प्रशासनिक प्रमुख हैं और समुचित कार्यकरण संचालन और उस विभाग में इन नियमों के सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए उत्तरदायी है।
7.	मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की सूची कहां से प्राप्त कर सकता हूं?	भारत सरकार (कार्यकरण नियम), 1961 की प्रथम अनुसूची में केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सूचीबद्ध हैं जोकि मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर उपलब्ध है। आबंटन/कार्यकरण नियम → कार्य आबंटन नियम → प्रथम अनुसूची ।
8.	भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आबंटित विषय और उनके द्वारा किए गए कार्य क्या हैं?	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को आबंटित कार्य भारत सरकार (कार्यकरण नियम), 1961 की द्वितीय अनुसूची में उपलब्ध है, जोकि मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर उपलब्ध है, जैसा कि नीचे बताया गया है। आबंटन/कार्यकरण नियम → कार्य आबंटन नियम → द्वितीय अनुसूची ।
9.	मैं प्रथम कार्य आबंटन नियम कहां से प्राप्त कर सकता हूं?	दिनांक 14 जनवरी, 1961 के भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के प्रथम आदेश की प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर उपलब्ध है और नीचे दर्शाए गए तरीके से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख → कार्य आबंटन नियम → 1961 → प्रथम भारत सरकार कार्य आबंटन नियम अधिसूचना। (दिनांक 18.01.1961)
10.	मैं प्रथम कार्यकरण नियम कहां से प्राप्त कर सकता हूं?	दिनांक 14 जनवरी, 1961 के भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के प्रथम आदेश की प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर उपलब्ध है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

		अभिलेख → कार्यकरण नियम → 1961 → प्रथम भारत सरकार कार्य आबंटन नियम (दिनांक 14.01.1961)
11.	मैं कार्य आबंटन नियम के सभी संशोधनों की प्रतियां कहां से प्राप्त कर सकता हूं?	भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 समय-समय पर संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर ऐसे सभी संशोधन उपलब्ध है, जैसा कि नीचे दर्शाए गए हैं। आबंटन/कार्यकरण नियम → कार्य आबंटन नियम → संशोधन
12.	मैं कार्यकरण नियम के सभी संशोधनों की प्रतियां कहां से प्राप्त कर सकता हूं?	भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 समय-समय पर संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर ऐसे सभी संशोधन उपलब्ध है, जैसा कि नीचे दर्शाए गए हैं। आबंटन/कार्यकरण नियम → कार्यकरण नियम → कार्यकरण नियम संशोधन
13.	किसी मंत्रालय/विभाग के लिए कार्यकरण नियम या कार्य निपटान क्या है?	भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 देखा जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (https://www.cabsec.gov.in) पर इसकी एक प्रति उपलब्ध है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। आबंटन/कार्यकरण नियम → कार्यकरण नियम इस संदर्भ में कार्यकरण नियम के नियम 3, 4 और 7 विशेषत: संबंधित हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थायी समितियां

14.	मंत्रिमंडल की स्थायी समितियां क्या हैं?	भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के नियम 6 (1) के अनुसार प्रावधान है कि: *"मंत्रिमंडल की स्थायी समितियां इन नियमों की प्रथम अनुसूची में यथानिर्धारित अनुसार होंगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट कार्य करेंगी। प्रधानमंत्री समय-समय पर ऐसी समितियों की संख्या बढ़ाकर अथवा घटाकर अथवा उन्हे सौंपे गए कार्यों में परिवर्तन करके इस अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं।"*
15.	मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों के क्या कार्य हैं?	मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों और उनके कार्य भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में

		सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (ht t p://cabsec.gov.i n) पर निम्नानुसार देखा जा सकता है: कार्यकरण नियम > नियम
16.	मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन कैसे होता हैं?	मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों का वर्तमान गठन मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट(ht t p://cabsec.gov.i n) पर उपलब्ध है, और निम्नानुसार देखा जा सकता है: मंत्रीपरिषद > मंत्रिमंडल सचिवालय
17.	मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों के पिछले गठन के बारे में कहाँ पर जानकारी मिल सकती हैं?	दिनांक 30.08.2011 से गठित मंत्रिमंडल समितियों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और निम्नानुसार देखी जा सकती है: अभिलेख > मंत्रिमंडल समितियां (30.08.2011 से 01.02.2014 तक) और मंत्रिपरिषद > मंत्रिमंडल समितियां (18.06.2014 से)
	मंत्रिपरिषद	
18.	मंत्रिपरिषद के कार्य और उत्तरदायितत्व क्या हैं?	मंत्रिपरिषद के कार्य और उत्तरदायितत्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार हैं।
19.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उनके पोर्टफोलियो की सूची कहाँ मिल सकती हैं?(कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री)	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और उनके पोर्टफोलियो की सूची मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (ht t ps://cabsec.gov.i n), पर उपलब्ध है और निम्नानुसार देखी जा सकती है: मंत्रिपरिषद > मंत्रिपरिषद की सूची
20.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उनके पोर्टफोलियो की पुरानी सूची कहाँ मिल सकती हैं?	केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सूची और 1990 से पोर्टफोलियो में हुए परिवर्तन की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट (ht t ps://cabsec.gov.i n) पर उपलब्ध है 27.05.2014 की स्थिति के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन और तदनुसार पोर्टफोलियो में परिवर्तन मंत्रिपरिषद टैब के अंतर्गत देखा जा सकता है। 1990 से प्रत्येक सरकार की मंत्रिपरिषद का आरंभिक गठन मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर निम्नानुसार देखा जा सकता है: अभिलेख > मंत्रिपरिषद का आरंभिक गठन 1990 से 26.05.2014 तक मंत्रिपरिषद के पोर्टफोलियो में सभी परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर निम्नानुसार देखे जा सकते हैं: अभिलेख > पोर्टफोलियो में परिवर्तन यद्यपि 1990 से पहले हुए मंत्रिपरिषद के गठन को अभी डिजिटल रूप नहीं दिया गया है, लोक सभा सचिवालय ने

		मंत्रिपरिषद 1947 (15 अगस्त से 28 अगस्त 2015 तक) नामक शीर्षक से समूल्य पुस्तक प्रकाशित की है। पूर्व गठनों के लिए इस पुस्तक का संदर्भ लिया जा सकता है।
21.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ब्यौरा कहाँ मिल सकता है? जैसे:- (i) ईमेल आईडी की सूची, (ii) फोन नंबर, (iii) मोबाइल नंबर, (iv) आवासीय पता, (v) कार्यालय पता, (vi) निर्वाचन क्षेत्र, (vii) राजनितिक दल, (viii) धर्म, (ix) जाति, (x) शैक्षिक अहर्ताएं	मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार की सूचना लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय अथवा संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है। आवेदक इस प्रकार की सूचना के लिए संबंधित लोक प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
22.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों का ब्यौरा कहाँ मिल सकता है?	केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते" से संबंधित सूचना गृह मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है।
23.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद की विदेश यात्रा का ब्यौरा कहाँ से मिल सकता है?	मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
24.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परिसंपत्तियों और जवाबदेही का ब्यौरा कहाँ से मिल सकता है?	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की परिसंपत्तियों और जबाबदेही से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
25.	मंत्रियों के लिए आचार संहिता से संबंधित जानकारी कहाँ से मिल सकती है?	भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत, गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रविष्टि मंत्रियों के लिए आचार संहिता (प्रविष्टि 16) आबंटित की गई है। इसलिए मंत्रियों के लिए आचार संहिता संबंधी सूचना के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) से संपर्क किया जा सकता है।
	सार्वजनिक डोमेन में सूचनाएँ	
26.	क्या मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना संभव है?	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न माध्यमों से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध करने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

		2. केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री के. लाल द्वारा दायर दूसरी अपील पर विचार करते समय दिनांक 12.04.2007 के आदेश सं.सीआईसी/एटी/ए/2007/00112 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ञ) में कहा गया है कि □ सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमे निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है........□। □इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध, □धारित□, और नियंत्रणाधीन□ शब्दों का उपयोग महत्वपूर्ण है। इस उप-धारा के पाठ और विशेषत: उपर उद्धत तीन अभिव्यक्तियों का निष्कर्ष यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना जिस पर एक नागरिक का अधिकार होता है उसे ऐसी सूचना के रूप में दर्शाया गया होना चाहिए जो (क) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हो और (ख) जो किसी विशेष लोक प्राधिकरी द्वारा धारित हो अथवा उसके नियंत्रणाधीन हो। इसका आशय यह होना चाहिए कि जब तक कोई सूचना लोक प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन न हो, तब तक उस सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुलभ नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष के तौर पर इसका यह आशय होगा कि जब कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में आ जाती है तब वह या तो नि:शुल्क अथवा पूर्व-निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर नागरिकों को उपलब्ध हो जाती है, उस सूचना को लोक प्राधिकरण द्वारा ‘धारित’ अथवा ‘नियंत्रणाधीन’ नहीं कहा जा सकता, और ऐसा होने पर वह सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं रह जाएगी........□ 3. दिनांक 19.09.2016 के निर्णय सं.सीआईसी/वाईए/ए/2014/000379/एसबी में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्देश दिया था □.....सार्वजनिक डोमेन में और वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करा दिये जाने के बाद वह सूचना किसी भी लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके नियंत्रण में नहीं रहती है और इसलिए वह सूचना □सूचना का अधिकार□ के तौर पर सुलभ नहीं होगी।